

राजस्थान-राजकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्राचीन अधिकारी -- कृष्णपाल सिंह चौहान, आर ए एस

दस्तावेज संख्या - 57/19 माण्डल

श्री लक्ष्मी सिंह जी 0 गंगा सिंह वरुणा मितासी-ओरावरपुरा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री लक्ष्मी सिंह जी गंगा सिंह वरुणा मितासी-ओरावरपुरा तहसील-माण्डल [वकील]
(प्रबन्धित प्रमाण सलज्ज)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 16-5-19

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भावलास पटवार हलका भावलास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1210/304 कुल किता 01 रकबा 02 बीघा — विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 2-4-19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का हेरा-फेरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भावलास पटवार हलका भावलास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1210/304 कुल किता 01 रकबा 02 बीघा — विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वागोर को 300 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पत्थरगढ़ी की मौजूदगी में मौके के कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु के आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल